न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 139/2022

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थी**
श्री सच्चियाय माता मंदिर समिति, छत्रियों का मोर्चा बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर, राजस्थान जरिये अधिकृत प्रतिनिधि ओमप्रकाश पुत्र श्री जगन्नाथ जी, जाति सेवग, निवासी कंसारो का वास, बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता,प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. तहसीलदार पचपदरा विप्रार्थी उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 06.09.2022

1.संक्षेप में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम बालो[illegible] ा गांव रहा है,जिसमें एक से अधिक सेन्टलमेंट प्रभाव में आये है,प्रथम सेटलमेंट संवत [illegible] 1955 में प्रभाव में आया। प्रथम सेटलमेंट के अनुसार श्री संच्चियाय [illegible] मंदिर समिति बालोतरा की भूमि गत बंदोबस्त अनुसार गैर मुमकिन नदी नहीं थी तथा खातेदारी/बेरा/आबादी/मंदिर भूमि के रूप में उपयोग ली जा रही थी तथा वर्तमान में भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.11 19:09:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

श्री संच्चियाय माता मंदिर बालोतरा की भूमि पर ट्रस्ट का व उक्त भूमि के हकपूर्वाधिकारी का अपने पूर्वजो के समय से कब्जा चला आ रहा है। कि प्रथम सेटलमेंट के अनुसार द्वितिय सेटलमेंट में भूमियों के रकबे व नक्शे में परिवर्तन किया गया। श्री सच्चियाय माता मंदिर बालोतरा खातेदारी/बेरा/आबादी/मंदिर भूमि के भाग के भीतर स्थित है,उक्त भूखण्ड लूणी नदी की सीमा के भीतर नहीं है और न ही उक्त भूखण्ड के जरीयें प्रार्थीनी द्वारा लूणी नदी के खसरान के भू भाग पर अतिक्रमण किया हुआ है। इसके उपरांत भी सेटलमेंट विभाग के राजस्व अधिकारियो ने विवादित भूमि का गलत तरीके से एकतरफा सीमाकंन करते हुए श्री संच्चियाय माता मंदिर भूमि को गैर मुमकिन नदी में होना दर्शाते हुए राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम कर दी गई। अतःप्रार्थी द्वारा अपनी मालिकाना स्वामित्व की भूमि की मौका स्थिति अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया। विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी के आवेदन–पत्र में वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए अपना जवाब पेश कर प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

3.विवादित भूमि की मौका व रेकर्ड स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश करने हेतु कमेटी अदालत द्वारा गठित कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट चाहे जाने पर गठित कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई।

4.उभयपक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है,कि **कस्बा बालोतरा पहले खालसा गांव था,जिसका पहला सेटलमेन्ट सम्वत् 2012 अर्थात् वर्ष 1955 में करवाया गया ।** प्रथम सेटलमेंट के **पश्चात् सम्वत् 2024 अर्थात वर्ष 1967 में पुनः सेटलमेन्ट हुआ और सम्वत् 2024 में जो सेटलमेन्ट विभाग द्वारा राजस्व नक्शा तैयार किया गया। वर्तमान श्री सच्चियाय माता मंदिर समिति, बालोतरा की भूमि गत बंदोबस्त अनुसार गैर मुमकिन नही थी तथा खातेदारी/बेरा/आबादी/ मदिर भुमि के रूप में उपयोग ली जा रही थी कि वर्तमान श्री सच्चियाय माता मंदिर समिती, बालोतरा की भुमि पर ट्रस्ट का व उक्त भूमि के हकपूर्वाधिकारी का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा था और तामिरे भी बनी हुई थी । उक्त भुखंण्ड पर**

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.11 19:09:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विद्युत का कनेक्शन भी ले रखा है। पुनः बंदोबस्त सम्वत् 2024 के समय तैयार किये गये नक्शे का गत बंदोबस्त के नक्शे से मिलान करने पर स्पष्ट हैं कि श्री सच्चियाय माता मंदिर समिति बालोतरा खातेदारी/बेरा/आबादी/मंदिर भूमि के भाग थे,इस भूमि को सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा पुनः बंदोबस्त सम्वत् 2024 के समय खातेदारी/बेरा/आबादी/ मंदिर भूमि में दर्ज नही कर नक्शे में नदी का भाग दर्शा दिया गया और यही नहीं सेटलमेन्ट में पूर्व में जो गैर मुमकिन नदी की स्थिति बताई गई,पुनः बंदोबस्त में गैर मुमकीन नदी की स्थिति को राजस्व नक्शे में मनमाने तरीके से हेरफेर कर दिया गया । प्रथम सेटलमेन्ट सम्वत् 2012 अर्थात् वर्ष 1955 के समय जो राजस्व नक्शा बनाया गया और दुबारा सेटलमेन्ट सम्वत् 2024 वर्ष 1967 के समय जो राजस्व नक्शा बनाया गया, उनको देखने मात्र से स्पष्ट हैं कि वर्तमान श्री सच्चियाय माता मंदिर समिति बालोतरा की भूमि गत बंदोबस्त के समय खातेदारी/बेरा/आबादी/ मंदिर की भूमि थी, उस भूमि को पुनः बंदोबस्त के राजस्व नक्शे में गलत तरीके से नदी की सूची में सम्मिलित कर दिया गया। जबकि वर्तमान वादग्रस्त भूमि गत बंदोबस्त के समय नदी के रूप में कतई राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं थी। इस प्रकार स्पष्ट हैं कि राजस्व नक्शा बनाने में त्रुटि कारित हुई हैं। श्री सच्चियाय माता मंदिर समिति बालोतरा की भूमि जो कि खातेदारी/बेरा/आबादी/ मदिर की भूमि थी,उस भूमि को सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के आदेश एवं न्यायालय के आदेश के बगैर राजस्व नक्शे में इस प्रकार से हेरफेर नहीं किया जा सकता।उनके द्वारा राजस्व नक्शा बनाने में जो त्रुटि कारित हुई हैं वह दोनो नक्शों एवं खसरा मिलान से भी स्पष्ट हैं। राजस्व नक्शे में कतई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सच्चियाय माता मंदिर समिती बालोतरा का व उक्त भूमि के हकपूर्वाधिकारी की जो पुरानी तामिरे बनी हुई थी वह खातेदारी/बेरा/ आबादी /मदिर की भूमि थी और यह वर्तमान में आबादी में है, जो भूमि की स्थिति मौके के अवलोकन से स्पष्ट हैं। ट्रस्ट की भूमि के आगे की तरफ उत्तर दिशा में नगर पालिका की डामर रोड़ हैं और उसके पश्चात दक्षिण में लूणी नदी की भूमि स्थित हैं । ऊपर वर्णित ट्रस्ट भूमि जो कि पहले खातेदारी/बेरा/आबादी/मंदिर भूमि थी, व वर्तमान में आबादी में है, प्रार्थी के भूखण्ड का उक्त भूमि के नाम से विघुत कनेक्शन भी जारी किया गया है यहा यह कहना भी प्रासंगिक होगा की प्रार्थी द्वारा गुगल से भी मेप प्राप्त किया गया,उससे भी स्पष्ट है कि भूमि कतई नदी की भूमि में सम्मिलित नही रही हैं। प्रार्थी द्वारा विवादित स्थल का गुगल से मेप प्राप्त किया गया और उस गुगल मेप से प्रथम सेटलमेन्ट व जो दुबारा सेटलमेन्ट हुआ, उन नक्शो से सुपर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.C.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.11 19:09:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.C.) बालोतरा

इम्पोज करवाया गया जिससे स्पष्ट है कि दुबारा सेटलमेन्ट में श्री सच्चियाय माता मंदिर समिती बालोतरा की भूमि को गलत तरीके से नक्शे में नदी में सम्मिलित किये गये हैं। जबकि उक्त भूमि कतई नदी का भाग नहीं है। इस प्रकार राजस्व नक्शे में वर्तमान श्री सच्चियाय माता मंदिर समिती बालोतरा की भूमि व खसरा नंबर 595,299 की स्थिति में जो परिवर्तन किया गया है इस हेतु किसी भी प्राधिकृत अधिकारी अथवा किसी भी न्यायालय का कोई आदेश नहीं था और उसके अभाव में सेटलमेन्ट के अधिकारी व कर्मचारी कतई राजस्व नक्शे में ऐसे परिवर्तन नहीं कर सकते थे। उपरोक्त सेटलमेन्ट में सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश व निर्णय के ही राजस्व रेकार्ड में पुराने इन्द्राज के स्थान पर नये इन्द्राज कर दिये गये एवं भूमि की किस्म को परिवर्तित कर दिया जिसका कानूनन उन्हें कोई अधिकार ही नहीं था। सेटलमेन्ट प्रकिया में बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के भूमि अभिलेख में प्रविष्टियों की निरंतरता को समाप्त नहीं किया जा सकता था [illegible] राजस्व नक्शे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता था यदि सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा ऐसा [illegible] उनका उक्त आदेश/प्रक्रिया बिना अधिकार के होने से अवैध एवं void ab Initio [illegible] भी वक्त चुनौती दी जा सकती है। कि सेटलमेन्ट अधिकारीयों को वक्त सेटलमेन्ट [illegible] राजस्व रेकार्ड में पूर्व में चले आ रहे इन्द्राज की पुनरावृति (रिपिटेशन) करते हुए उक्त खसरा [illegible] किस्म आबादी के रूप में दर्ज करनी चाहिये थी तथा राजस्व रेकार्ड नक्शे में भी इन्द्राज की पुनरावृत्ति पूर्वानुसार करनी चाहिये थी एवं आबादी क्षैत्र में काबिज व्यक्तियों को नोटिस देकर सुनना चाहिये था। जबकि सेटलमेन्ट अधिकारियों व क्षैत्राधिकारियों ने अपने क्षेत्राधिकारों का दुरूपयोग कर व अवैध कार्यवाही करते हुए एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना कर आबादी/खातेदारी भूमि को राजस्व नक्शे में आबादी/खातेदारी भूमि के स्थान पर गैर मुमकिन नदी में शामिल बता दिया। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा किये गये इस गलत अंकन से प्रार्थी के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव हो रहा है सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारीयों को इस प्रकार बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के इन्द्राज बदलने का अधिकार नही है। सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट अधिकारीयों द्वारा किये गये अवैध कृत्य को सेटलमेन्ट समाप्त होने के पश्चात् दुरस्त किया जा सकता है जिसका माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वर्तमान प्रार्थी श्री सच्चियाय माता मंदिर समिति बालोतरा व हकपूर्वाधिकारीयो का कब्जा रहा व उनकी तामीरे बनी हुई थी। कि राजस्थान राज्य सरकार के अधिकारियो द्वारा बार बार प्रार्थी को उक्त भूखण्ड से बेदखल करने की धमकीया देने पर प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.11 19:09:37 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] गत बंदोबस्त के राजस्व रेकर्ड की व मौजुदा राजस्व रेकर्ड व नक्शो की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे विचाराधीन जनहित याचिका कमांक 544 / 2020 के प्रकरण मे माननीय न्यायालय के आदेशानुसार पक्षकार बनते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रार्थी ने नदी का नक्शा त्रुटिपूर्ण होना बताया था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे जनहित याचिका कमांक 544 / 2020 के प्रकरण मे दिनांक 11.04.2022 को आदेश पारित कर न्यायालय श्री के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र राजस्व रेकार्ड खतौनी व नक्शा लट्ठा दुरस्ती हेतु अन्दर म्याद प्रस्तुत हैं। कि उक्त जनहित याचिका मे अन्य प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि प्रार्थीगणों के भूखण्ड की भूमि को गलत रूप से नदी मे सम्मिलित कर दी गई। राजस्व नक्शों का राजस्व विभाग व [illegible] द्वारा सुपर इम्पोजिशन करवाया गया जिसमें प्रार्थीगणों की वादग्रस्त भूमि पूर्व सेटलमेन्ट [illegible]/आबादी भूमि का भाग होना स्वीकार किया गया हैं एवं उक्त प्रार्थना पत्र बिन्दु संख्या 2 मे वर्णित विवरण को सही होना स्वीकार किया हैं। सरकार के जवाब के संलग्न प्रस्तुत सुपर इम्पोजिशन नक्शे मे प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि प्रथम सेटलमेन्ट मे नदी [illegible] नहीं होना स्पष्ट हैं पश्चातवर्ती सेटलमेट मे सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा बिना किसी विधिपूर्ण अधिकारीता/प्रकिया के प्रार्थी की भूमि को राजस्व नक्शे मे नदी का भाग बता दिया जो दुरस्त करने योग्य हैं। कि सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मे प्रार्थीगणों के प्रार्थना पत्र का जो जवाब प्रस्तुत किया है उसमें सरकार द्वारा यह तथ्य पूर्ण रूप से स्वीकार गया हैं कि पूर्व मे जब जरीब 132 थी तो खसरा नं 299 एवं उसके विभिन्न बटटो का कुल रकबा 25.17 बीघा था। कालान्तर मे विभाग द्वारा जरीब 165X165 की गई थी तो उक्त खसरा संख्या 299 मय बट्टा नंबर का रकबा 16.11 बीघा अंकित किया जाना था परन्तु खसरा बन्दोबस्त अनुसार 10.01 बीघा भूमि ही खातेदारी अंकित की गई शेष 06.10 बीघा भूमि सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा बिना किसी विधिपूर्ण अधिकारीता/प्रक्रिया के प्रार्थी की भूमि को राजस्व नक्शे मे नदी का भाग बता दिया। पुराने व नये नक्शे मे भी नदी की स्थिति मे भिन्नता होना एव पुराने नक्शे मे नदी की स्थिति को नये सेटलमेन्ट के नक्शे मे परिवर्तित करना स्वीकार किया हैं। जबकि मौके पर नदी की स्थिति मे प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि मे कोई परिवर्तन नहीं हुआ एव सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा बिना किसी विधिपूर्ण कार्यवाही के प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.11 19:09:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

की कब्जा सुदा व पट्टा सुदा भूमि को नदी दर्ज किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर श्री सच्चियाय माता मंदिर समिति बालोतरा के वर्तमान उक्त कब्जासुदा भूखण्ड के राजस्व नक्शे व ढ़ानों को गत बंदोबस्त के नक्शे अनुसार दुरुस्त करने व सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा पुनः बंदोबस्त के दौरान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के उक्त कब्जासुदा भूखण्ड के खसरा संख्या व भूमि की किस्म बाबत् किये गये परिवर्तन को गत बंदोबस्त के रेकार्ड अनुसार तरमीम दुरुस्त की जावे।

6.इसके विपरीत विप्रार्थी की बहस है,कि प्रार्थी की ओर से आवेदन–पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है,जो निरस्त योग्य है। क्योंकि विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेन्ट संवत 1982 अर्थात् सन 1925 में हुआ था,जहां आबादी मौके पर बसी हुई थी,जिसका रकबा राजस्व रेकर्ड में आबादी के रूप में दर्ज हुआ। द्वितीय सेटलमेन्ट [illegible] 1955 में किया गया तथा तृतीय सेटलमेंट वर्ष 1967 में हुआ है तत्समय सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा नदी के बहाव क्षेत्र एंव पानी के भराव क्षेत्र में आने वाली भूमि को गैर [illegible] गया,जो वक्त सेटलमेन्ट के अधिकारियों के द्वारा जल पातायतन की भूमि [illegible] अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे कथन किया,कि सेटलमेन्ट अधिकारियों [illegible] पातायतन पानी बहाव क्षेत्र व डूब क्षेत्र का बारीकी से सर्वे करवाते हुए आबादी बसावट के अनुसार आबादी दर्ज की गई है तथा पानी भराव क्षेत्र की भूमि को गैर मुमकिन नदी [illegible] रूप से दर्ज किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी के भूखण्ड परिसर गैर मुमकिन नदी में आया हुआ है जो कि गैर कानूनी है। प्रार्थी [illegible] द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किया है,क्योंकि विवादित भूखण्ड प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि में न होकर गैर मुमकिन नदी भूमि के अन्दर अवस्थित है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि की रेकर्ड नक्शा दुरुस्ती करवाने का हकदार नहीं है। क्योंकि विवादित भूखण्ड गैर मुमकिन नदी में अवैध रूप से बनाया हुआ है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया कि राजस्व रेकर्ड नक्शा दुरुस्ती उसी में हो सकती है,जो दौराने कार्य करते समय कोई त्रुटि अथवा भूलवंश गलती हुई हो। लेकिन हस्तगत आवेदन–पत्र में वर्णित भूमि का वक्त सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर विस्तृत सर्वे करते हुए हितबद्ध पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर मौका व रेकर्ड स्थिति अनुसार रेकर्ड में संधारण किया था। इस प्रकार प्रार्थी किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का हकदार नहीं

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.11 19:09:37 IST
Reason: SelfAttested

है,क्योंकि प्रार्थी द्वारा गै.मु.नदी की भूमि पर अतिक्रमण करने के उपरांत इसकी आड़ में राजस्व अभिलेख व नक्शा लक्ठ़ा में तरमीम दुरुस्त करवाने की फिराक में है। जिसमें प्रार्थी सफलता प्राप्त करने का हकदार नहीं है क्योंकि प्रार्थी जिस भू–भाग पर काबिज है,गत सेटलमेन्ट अनुसार खसरा नम्बर 456 गैर मुमकिन नदी का है एवं वर्तमान सेटलमेन्ट अनुसर भी खसरा नम्बर 870 गैर मुमकिन नदी का है। इस प्रकार प्रार्थी का आवेदन–पत्र सारहीन व गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

7.हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड मय दस्तावेजात का गम्भीरता–पूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 आर. एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर आवेदन–पत्र [illegible] में मुख्य इस्तदूआ चाही गई है,कि श्री संच्चियाय माता मंदिर समिति बालोतरा की भूमि [illegible] का व उक्त भूमि के हकपूर्वाधिकारी का अपने पूर्वजो के समय से कब्जा होता आ रहा है और तामिरे भी बनी हुए है। प्रथम सेटलमेंट संवत 2012 अर्थात सन 1955 के समय श्री संच्चियाय माता मंदिर बालोतरा खातेदारी/बेरा/आबादी/मंदिर भूमि के भाग थे,पुनःबन्दोबस्त संवत 2024 अर्थात सन 1967 में सेटलमेंट अधिकारीयों द्वारा पूर्व की स्थिति बदलकर मंदिर को नदी का भाग दर्शा दिया गया , लेकिन प्रार्थी की विवादित भूमि खातेदारी/बेरा/आबादी/मंदिर में होने के उपरांत भी राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनी मनमर्जी तरीके से गलत सर्वे करते हुए गलत तरीके से प्रार्थी की स्वामित्व भूमि को गैर मुमकिन नदी में रेकर्ड व तरमीम अंकन कर दी गई,जो आदिनांक तक गलत तरीके से किया गया रेकर्ड इन्द्राज चला आ रहा है,जिसे निरस्त करते हुए प्रार्थी की विवादित भूमि को खातेदारी/बेरा/आबादी/मंदिर भूमि की सीमाओं के भीतर होना मानकर राजस्व अभिलेख व नक्शें में तरमीम दुरुस्ती करवाना चाहते हैं। जबकि प्रार्थी जिस भू–भाग पर काबिज है,वह गत सेटलमेन्ट अनुसार भी खसरा नम्बर 456 किस्म गैर मुमकिन नदी का है,इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि/भूखण्ड गैर मुमकिन नदी के अन्दर अवस्थित है। जो एक प्रकार से अतिक्रमण ही माना जा सकता है। जबकि विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेन्ट सन्

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.11 19:09:37 IST
Reason: SelfAttested

1925 में हुआ था तथा द्वितीय सेटलमेन्ट भी सन् 1955 में हुआ था तथा तृतीय सेटलमेंट वर्ष 1967 में हुआ था,तत्समय सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों द्वारा विस्तृत सर्वे करते हुए मौका व रेकर्ड स्थिति अनुसार रेकर्ड संधारण किया था। जो कि विवादित भूमि/भूखण्ड खातेदारी में नहीं होकर गैर मुमकिन नदी का ही भाग है। इस प्रकार अदालत का यह मानना है,कि प्रार्थी विवादित भूमि की रेकर्ड नक्शा दुरुस्त करवाने का हकदार प्रतीत नहीं होता है,क्योंकि वक्त सेटलमेन्ट से आदिनांक तक रेकर्ड में गैर मुमकिन नदी इन्द्राज है। प्रथम सेटलमेन्ट को हुए लगभग 95 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है और उसके बाद द्वितीय व तृतीय सेटलमेन्ट भी हो चुके हैं। इतने वर्षो तक प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि के रेकर्ड दुरुस्ती संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई,इस बिन्दु के संबंध में कोई सन्तोषप्रद जवाब/तर्क नहीं दिये गये। प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया,जिससे साबित होता हो कि विवादित भूमि गैर मुमकिन नदी में न होकर खातेदारी/बेरा/आबादी/मंदिर की सीमा के भीतर हो। प्रार्थी द्वारा केवलमात्र मौखिक कथन किया है,कि प्रार्थी की भूमि गैर मुमकिन नदी में नहीं होकर स्वामित्व खातेदारी/बेरा/आबादी/मंदिर की सीमाओं में आती है,यह तर्क मानने योग्य नहीं है। क्योंकि मौखिक कथन से राहत प्रदान नहीं की जा सकती है,इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों का होना आवश्यक है। जहां तक प्रार्थी वकील द्वारा तर्क दिये थे,कि संवत 2012 वर्ष 1955 के सेटलमेंट समय श्री संच्चियाय माता मंदिर बालोतरा खातेदारी/बेरा/आबादी/मंदिर भूमि में दर्ज हुई थी बाद में पुनः बंदोबस्त संवत 1955 वर्ष 1967 में मंदिर की भूमि खातेदारी/बेरा/आबादी/मंदिर में दर्ज नहीं कर नक्शे में गैर मुमकिन नदी का भाग दर्शा दिया गया,जो की रेकर्ड में गलत इन्द्राज प्रविष्टि होने के कारण निरस्त कर पूर्व स्थिति बहाल की जावें। लेकिन इस संबध में प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई ठोस दस्तोवजी साक्ष्य पेश नहीं किया,जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता हो कि दुबारा सेटलमेंट के समय तत्कालीन राजस्व अधिकारीयों द्वारा रेकर्ड दुरूस्ती करने में त्रुटि कर ली गई हो। प्रार्थी पक्ष की ओर से केवलमात्र मौखिक कथन ही किये गये है,जो कि मानने योग्य नहीं है। क्योकि अपने आवेदन पत्र को स्वीकार करवानें के लिए दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश किये जाने अति आवश्यक होतें

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.11 19:09:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

है। लेकिन ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश करने में प्रार्थी पक्ष असफल रहा है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है। इस प्रकार अदालत द्वारा समुचित विवेचन किये जाने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंची है,कि आवेदन–पत्र में ऐसा कोई सारभूत तथ्य व दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है,जिससे स्पष्ट हो सके कि विवादित भूमि की तरमीम दुरुस्ती योग्य हों। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन–पत्र सारहीन तथ्यों को आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है।

8.लिहाजा प्रार्थी का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 आर.एल.आर. एक्ट प्रकरण में सारभूत तथ्य निहित नहीं होने व सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी **बालोतरा**

आदेश आज दिनांक 06.09.2022 को लिखा कर खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.11 19:09:37 IST
Reason: SelfAttested